Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone : 0141-2711263, 2716802 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in
RSPCB HelpLine No. : 0141-2716877

क्रमांकः एफ16(46)/राप्रनिमं/ई–वेस्ट/439 दिनांक : 12.01.2022

आम सूचना

इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरणों के बडे उपभोक्ताओं (Bulk consumer)/उपयोगकर्त्ताओं हेतु आम सूचना।

केन्द्र व राज्य सरकार के विभाग	ई–वेस्ट (प्रबन्धन) नियम 2016 के अनुसार ये सभी बडें उपभोक्ता (Bulk consumer) की श्रेणी में आते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	
बहुराष्ट्रीय संगठन	
सार्वजनिक, भागीदारी, प्राइवेट कम्पनियाँ	
शैक्षणिक संस्थान	
अस्पताल	

यह देखा गया है कि उपभोक्ताओ/बडे उपभोक्ताओ (Bulk consumer) द्वारा यह जांच किये बिना ही डिस्मेंटलर्स/रिसाईकलर्स को ई–वेस्ट दिया जाता है, कि वे केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल/प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैध प्राधिकार प्राप्त हैं या नही, जिसके कारण अवैद्य ईकाईयों द्वारा भी ई–वेस्ट का एकत्रीकरण किया जाना संज्ञान में आया है। जब ई–वेस्ट की प्रोसेसिंग/रिसाइक्लिंग ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाती है, जिनके पास पर्यावरण के अनुकूल समुचित व्यवस्थाएँ नहीं है, तो ये प्रक्रिया पर्यावरण को दूषित करती हैं एवं श्रमिकों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। अतः सभी बडे उपभोक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि ई–वेस्ट को किसी भी अधिकृत ई–वेस्ट ईकाई को सुपुर्द करते समय यह सुनिश्चित करें कि :–

i. ई–वेस्ट एकत्रित करने वाली संस्था/ईकाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल/राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल/प्रदूषण नियंत्रण समिति से वैद्य प्राधिकार प्राप्त है।
ii. ई–वेस्ट एकत्रित करने वाली संस्था/ईकाई को ई–वेस्ट सुपुर्द करते समय उनके पास उपलब्ध पास बुक में दिये गये ई–वेस्ट की प्रविष्टि आवश्यक रूप से करें।
iii. ई–वेस्ट एकत्रित करने वाली संस्था/इकाई से पावती/प्रमाण के रूप में, फार्म–6 प्राप्त करें।
iv. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 30 जून से पूर्व फार्म–3 में वार्षिक विवरण राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें– किसी गैर वैध प्राधिकार प्राप्त डिस्मेंटलर्स/रिसाईकलर्स को ई–वेस्ट सुपुर्द करना कानूनी अपराध है जिसके लिए ई–वेस्ट देने वाले बडे उपभोक्ता (Bulk consumer) भी जिम्मेदार है।

ई–वेस्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी, राज्य में स्थित अधिकृत डिस्मेंटलर्स/रिसाईकलर्स की सूची सहित, राज्यमण्डल की वेबसाईट (www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb) पर उपलब्ध है।

राज.संवाद/सी/21/10542

सदस्य सचिव